अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

आ. स्वीकार/स्थगन
2.6.2023

गोपाल बनाम श्रीमती माया वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 172/2023 (मसूदा)

	श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट	
30.05.2023	गोपाल बनाम श्रीमती माया (127/2023) यह अपील श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 41/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 02.06.2023 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
02.06.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 30.05.2023 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से मनमाने तौर पर प्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया। प्रार्थीगण द्वारा अपने रहवासी मकान में मरम्मत करवाई जा रही है जिसके प्रार्थीगण ने मकान के कमरों की पट्टीयॉं उतरवाई थी लेकिन अब विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन की आड़ लेकर मकान को सही नहीं करवाने दे रहे है जिससे प्रार्थीगण के समक्ष रहवास की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है साथ विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारों के उपयोग–उपभोग से वंचित हो रहे है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 41/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित किऐ जाने बाबत् आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवालेकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.05.2023 को यह आदेश पारित किये कि "ग्राम देवगढ़ उर्फ सुतीखेड़ा तहसील बिजयनगर के खसरा नम्बर	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गोपाल बनाम श्रीमती माया वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 172/2023 (मसूदा)

240/104 रकबा 0.1213 भूमि की आगामी तोरीख पेशी तक दोनो पक्षों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वाद क चलते अन्य परिस्थितियों में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।" अप्रार्थी/अपीलांट ने उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अप्रार्थी/अपीलांट को अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जा.दी. के तहत् कार्यवाही करना चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की विचाराधीन रहते विवादित आराजी बाबत् मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत है, अप्रार्थी/अपीलांट को उक्त आदेश से कोई आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखें।अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 22.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध है चुँकि प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भी पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 07 दिवस चार तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तथा अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पाबंद करें कि वे प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 07 दिवस चार तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर